रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 861] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2016/अग्रहायण 25, 1938
No. 861] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2016/AGRAHAYANA 25, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1147(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 66 के साथ पठित धारा 469 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (कंपनियों की शेयर पूंजी में कटौती की प्रक्रिया) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन) नियम, 2014 में या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या उक्त नियमों में हैं।

2. **धारा 66 के अधीन शेयरपूंजी में कटौती करने के लिए आवेदन या याचिका का प्ररूप.-** (1) किसी कंपनी की शेयरपूंजी में कटौती की पुष्टि करने के लिए अधिकरण को कोई आवेदन **प्ररूप संख्या आरएससी-1** में होगा और फीस होगी जिसे इन नियमों की फीस अनुसूची में निहित किया जाए।

(2) किसी कंपनी की शेयरपूंजी में कटौती की पुष्टि के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेज के साथ होंगे –

(क) प्रबंध निदेशक द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में दो निदेशकों द्वारा सत्य और सही रूप में, सम्यक् रूप से प्रमाणित लेनदारों की सूची, जिसे आवेदन फाइल करने की तारीख से अनधिक पंद्रह दिन पहले की

तारीख को, तैयार किया गया हो और जिसमें कंपनी के लेनदारों के ब्यौरे वर्ग-वार, जिसमें उनके नाम, पते और उनको देय राशि दर्शित होगी;

(ख) कंपनी के लेखापरीक्षक का इस आशय का प्रमाण पत्र कि खंड (क) में निर्दिष्ट लेनदारों की सूची, लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित होगी, कंपनी के अभिलेखों के अनुसार सही है;

(ग) लेखापरीक्षक द्वारा एक प्रमाण पत्र और कंपनी के एक निदेशक द्वारा यह घोषणा कि उस कंपनी पर आवेदन फाइल करने की तारीख तक जमाराशि या उस पर ब्याज की वापसी में कोई राशि बकाया नहीं है; और

(घ) कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि शेयरपूंजी में कटौती के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तावित लेखा व्यवहार धारा 133 या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है:

(3) लेनदारों की सूची की प्रतियां कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी और कोई व्यक्ति कारबार के सामान्य समय के दौरान किसी समय उसका निरीक्षण करना चाहे या उनका उद्धरण प्राप्त करना चाहे तो वह कंपनी को निरीक्षण के लिए पचास रुपए की राशि का भुगतान करके और उद्धरण लेने के लिए दस रुपए प्रति पृष्ठ की राशि का भुगतान करके उसके उद्धरण ले सकेगा।

3. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा सूचना और निदेश जारी करना.- (1) अधिकरण, नियम 2 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के पंद्रह दिन के भीतर उनकी टिप्पणियां और आपत्तियां, यदि कोई हों, प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित को सूचना देगा या सूचना देने के लिए निदेश देगा.-

(i) केन्द्रीय सरकार, कंपनी रजिस्ट्रार को – सभी मामलों में **प्ररूप संख्या आरएससी-2** में;

(ii) सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को **प्ररूप संख्या आरएससी-2 में;**

(iii) कंपनी के लेनदारों को सभी मामलों में, **प्ररूप संख्या आरएससी-3** में;

(2) उपनियम (1) के खंड (iii) के अधीन सूचना उक्त उपनियम के अधीन निदेश दिए जाने के सात दिन या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो अधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए, प्रत्येक लेनदार को भेजा जाएगा जिसका नाम आवेदन प्रस्तुत करते समय कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई लेनदारों की सूची में प्रविष्ट है और उक्त सूची में, शेयरपूंजी प्रस्तावित कटौती की राशि या प्राकलित मूल्य या आकस्मिक ऋण या दावा या दोनों, जिसके लिए उस लेनदार का नाम उक्त सूची में प्रविष्ट किया गया है, तथा वह समय जिसमें लेनदार अपने अभ्यावेदन आक्षेप भेज सकेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन अधिकरण निदेशों के साथ-साथ, निदेश दिए जाने की तारीख के सात दिन के भीतर **प्ररूप संख्या आरएससी-4,** सूचना उस राज्य जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, में लेनदारों से आपत्तियां प्राप्त करने और सुनवाई की तारीख सूचित करने के लिए एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में और व्यापक परिचालन वाले स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में या ऐसे समाचार पत्र में, जिसमें अधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए, प्रकाशित करने के लिए और कंपनी की वेबसाइट (यदि कोई हो) पर अपलोड करने के लिए तथा निदेश देगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन सूचना में, शेयरपूंजी में प्रस्तावित कटौती की राशि, वे स्थान जहां लेनदारों की उपर्युक्त सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा और अधिकरण द्वारा निर्धारित समय जिसमें कंपनी के लेनदार अपनी आक्षेप भेज सकते हैं, अभिकथित करेगा:

परंतु आक्षेप, यदि कोई हों, तो सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर कंपनी पर एक प्रति की तामील के साथ अधिकरण को फाइल की जाएंगी।

(5) कंपनी या वह व्यक्ति जिसे इस नियम के अधीन सूचना जारी करने और समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करने का निदेश दिया गया था, यथाशीघ्र, परंतु ऐसे सूचना के जारी करने की तारीख से सात दिन के अपश्चात् सूचना के प्रेषण और प्रकाशन की पुष्टि करते हुए **प्ररूप संख्या आरएससी-5** में एक शपथ पत्र फाइल करेगा।

(6) जहां अधिकरण का यह समाधान है कि प्रत्येक लेनदार के ऋण या दावे का उन्मोचन या अवधारण कर दिया गया है या प्रतिभूत कर दिया गया है या उसकी सहमति प्राप्त कर ली गई है तो वह इस नियम के अधीन लेनदारों को सूचना देने या सूचना को प्रकाशित करने या दोनों की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगा।

4. धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार, रजिस्ट्रार आदि द्वारा अभ्यावेदन.- यदि नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट प्राधिकरण या कंपनी के लेनदार धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन कोई अभ्यावेदन करना चाहते हैं तो सूचना प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उसे अधिकरण को भेजा जाएगा और साथ ही कंपनी को उस अभ्यावेदन की प्रति भेजी जाएगी तथा यदि अधिकरण द्वारा उक्त अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया होता है तो यह मान लिया जाएगा कि कटौती के संबंध में उन्हें कोई आक्षेप नहीं है।

5. अभ्यावेदनों और प्राप्त आपत्तियों के संबंध में प्रक्रिया.- (1) कंपनी, अधिकरण को अभ्यावेदन या आपत्तियां मांगने की अवधि समाप्त होने के सात दिन के भीतर उस समय तक प्राप्त अभ्यावेदन और आक्षेप तथा उन पर कंपनी का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगी।

(2) अधिकरण कोई जांच करवाने, या दावों का अधिनिर्णय या आपत्तियों की सुनवाई करने या अन्यथा के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

(3) आवेदन की सुनवाई पर, यह अधिकरण ऐसे निदेश दे सकता है जो वह किसी लेनदार, जो प्रस्तावित कटौती से सहमत नहीं है, के ऋणों या दावों को प्राप्त करने के संदर्भ में उपयुक्त समझे तथा अर्जी की आगे सुनवाई स्थगित की जा सकेगी ताकि कंपनी ऐसे निदेशों का अनुपालन कर सके।

6. आवेदन और उसके कार्यवृत्त पर आदेश.- (1) जहां अधिकरण कटौती की पुष्टि करने का कोई आदेश करता है तो कटौती की पुष्टि करने और कार्यवृत्त अनुमोदित करने के आदेश जिसके अंतर्गत ऐसे निदेश या शर्तें और निबंधन भी हो सकेंगे जो अधिकरण उपयुक्त समझे।

(2) शेयरपूंजी में कटौती की पुष्टि और कार्यवृत्त अनुमोदित करने का आदेश ऐसी शर्तों और निबंधनों पर **प्ररूप संख्या आरएससी-6** में होगा जो वह उचित समझे।

(3) धारा 66 की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमाण पत्र **प्ररूप संख्या आरएससी-7** में होगा।

फीस की अनुसूची			
क्र.सं.	**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा**	**आवेदन/अर्जी की प्रकृति**	**फीस (रुपए में)**
1	धारा 66 की उपधारा (1)	शेयरपूंजी में कटौती के लिए आवेदन	5000/-रुपए

प्ररूप संख्या आरएससी-1

[नियम 2(1) के अनुसरण में)

20 .... का कंपनी आवेदन संख्या

.... लिमिटेड

शेयरपूंजी की कटौती की पुष्टि करने के लिए धारा 66 के अंतर्गत आवेदन

अर्जीदार निवेदन करता है किः

1. उपर्युक्त कंपनी, इसमें आवेदक (इसमें इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) [कंपनी अधिनियम, ...] के प्रावधानों के अधीन दिनांक .... को शेयरों द्वारा सीमित/ शेयरपूंजी के साथ प्रत्याभूति द्वारा समिति एक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था।

2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में स्थित है।

3. कंपनी के मुख्य उद्देश्य [.........................] हैं।

4. कंपनी की पूंजी .... रु. .... रु. के प्रत्येक .... शेयरों में विभाजित है, जिनमें से .... शेयर जारी कर दिए गए हैं और पूर्ण रूप से भुगतान किया जा चुका है या पूर्ण रूप से भुगतान के रूप में जमा कराए जा चुके हैं (या .... रु. प्रति शेयर तक भुगतान किया गया है)।

[जहां कहीं एक से अधिक वर्ग के शेयर हैं तो आवेदन में शेयरों के वर्ग निर्धारित होने चाहिए और विनिर्दिष्टतः से कथन करें कि पूंजी के संबंध में कोई प्राथमिकता है अथवा नहीं]

5. कंपनी के संगम-अनुच्छेदों के .... अनुच्छेद द्वारा यह उपबंधित किया गया है कि कंपनी विशेष संकल्प द्वारा समय-समय पर कानून द्वारा स्वीकृत किसी रीति में अपनी पूंजी में कटौती कर सकती है।

6. कंपनी की वित्तीय स्थिति के संबंध में संक्षिप्त सूचना; पात्रता, आरक्षण या लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट, यदि कोई है तो में की गई प्रतिकूल टिप्पणी या घोषणा, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई लंबित निरीक्षण, जांच या अन्वेषण की संक्षिप्त सूचना।

7. [कटौती के लिए कारण बताएं]

8. अधिनियम में यथाउपबंधित नोटिस देने के पश्चात् दिनांक .... 20 .... को आयोजित की गई एक साधारण बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66(1) के अनुसरण में कंपनी के एक यथा पारित विशेष संकल्प द्वारा, यह संकल्प लिया गया था।

[यहां संकल्प का उल्लेख करें]

9. निम्नलिखित के बारे में विवरण –

(i) ऐसी बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या या मतदान की शक्ति;

(ii) ऐसे सदस्यों की संख्या जिन्होंने शेयरपूंजी की कटौती के लिए संकल्प के पक्ष में मतदान किया है और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या या मतदान की शक्ति;

(iii) ऐसे सदस्यों की संख्या जिन्होंने संकल्प के विपक्ष में मतदान किया और उनके द्वारा निर्धारित शेयरों की संख्या या मतदान की शक्ति;

10. [यहां उल्लेख करें कि क्या शेयरपूंजी की कटौती में असंदत्त शेयरपूंजी या समादत्त शेयरपूंजी, जो उपलब्ध आस्तियों द्वारा असंदत्त शेयरपूंजी या किसी समादत्त शेयरपूंजी के शेयरधारक को भुगतान द्वारा खो गई है या गलत दर्शाई गई है के निरसन के संबंध में किसी दायित्व का लोप या कटौती शामिल है]

11. धारा 66(5) के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने के लिए प्रस्तावित कार्यवृत्त का प्ररूप निम्नानुसार हैः

[यहां प्रस्तावित कार्यवृत्त का उल्लेख करें]

12. इसलिए आवेदक अनुरोध करता है किः

(1) ऊपर दिए गए .... पैरा में उल्लिखित विशेष संकल्प द्वारा पूंजी की कटौती के संकल्प की पुष्टि की जाए;

(2) इसकी समाप्ति तक सभी अनिवार्य और उचित निदेश बनाए और दिए जाएं;

(3) प्रस्तावित कार्यवृत्त अनुमोदित किया जाए; और

(4) अधिकरण के परिसर में किए गए अतिरिक्त या अन्य आदेश उचित प्रतीत होंगे।

तारीख ....

आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि

संलग्नकः-

(i) लेनदारों की सूची

(ii) लेनदारों की सूची के संबंध में लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणपत्र

(iii) जमा राशियों के पुनर्भुगतान में कंपनी के पास बकाया नहीं होने के संबंध में प्रमाणपत्र और घोषणा

(iv) लेखांकन मानकों की पुष्टि के संबंध में लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणपत्र

(v) अन्य कोई संलग्नक।

प्ररूप संख्या आरएससी-2

[नियम 3(1)(i) और (ii) के अनुसरण में]

मैसर्स .... (कंपनी) की शेयरपूंजी में कटौती के लिए आवेदन के संबंध में केंद्रीय सरकार, रजिस्ट्रार आदि को नोटिस

सेवा में

केंद्रीय सरकार/

कंपनी रजिस्ट्रार/

(सभी मामलों में)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/

(जैसा भी लागू हो)

आपसे अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त कंपनी की शेयरपूंजी .... रुपए से घटाकर .... रुपए करने की पुष्टि हेतु 20 .... की तारीख .... को .... स्थित (खंडपीठ) में अधिकरण को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन की एक प्रति संलग्नकों सहित संलग्न है।

आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन के संबंध में अभ्यावेदन, यदि कोई हैं तो इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर अधिकरण में प्रस्तुत करें। साथ ही अभ्यावेदन की प्रति संबंधित कंपनी को

भी भेजी जाए।

यदि तीन मास की निर्धारित अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि आपको इस आवेदन पर आपकी कोई टिप्पणी या आपत्ति नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

तारीख .... 20 .... का दिन ....
स्थान
संलग्नकः आवेदन की प्रति सभी संलग्नकों सहित

प्ररूप संख्या आरएससी-3

[नियम 3(1)(iii) के अनुसरण में]

.... स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण खंडपीठ के समक्ष

कंपनी आवेदन संख्या .... 20 ....

.... लि. ....आवेदक

लेनदारों को नोटिस

सेवा में,

....

....

आपसे ध्यान देने हेतु अनुरोध है कि उपर्युक्त कंपनी की शेयरपूंजी .... रुपए से घटाकर .... रुपए करने की पुष्टि हेतु 20 .... के दिन .... को .... स्थित अधिकरण में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और कंपनी द्वारा दी गई लेनदारों की सूची, जो तारीख .... को तैयार की गई है, आपका नाम .... रुपए के लिए लेनदार के रूप में प्रविष्ट किया गया है (ऋण या दावे के प्रकार का विवरणित किया जाए)।

यदि आपको आवेदन या उपर्युक्त ब्यौरों पर कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति आपके नाम और पता और आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो तो, के नाम और पता, आदि ब्यौरा (समर्थक दस्तावेजों सहित) इस नोटिस की तारीख से तीन मास के भीतर अधोहस्ताक्षरी को .... पर भेजा जाए।

यदि ऊपर बताए गए अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की जाती है तो लेनदारों की सूची में उपर्युक्त प्रविष्टि को कंपनी की शेयरपूंजी में कटौती के लिए उपर्युक्त याचिका के अधीन सभी कार्यवाहियों में सही माना जाएगा।

तारीख ....

कंपनी के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि

प्ररूप संख्या आरएससी-4

[नियम 3(3) के अनुसरण में]

.... स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण खंडपीठ के समक्ष

कंपनी आवेदन संख्या .... 20 ....

.... लि. .... आवेदक

नोटिस का प्रकाशन

ध्यान दिया जाए कि उपर्युक्त कंपनी की शेयररूपंजी में .... रु. से .... रु. की कटौती की पुष्टि हेतु .... (खंडपीठ) स्थित अधिकरण को एक आवेदन भेजा गया था।

व्यष्टिक लेनदारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कंपनी द्वारा तारीख .... को तैयार की गई लेनदारों की सूची कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में और .... पर (वे दिन जब निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी) .... के बीच पूर्वान्ह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे के दौरान सभी कार्यदिवसों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

यदि कंपनी के किसी लेनदार को आवेदन या लेनदारों की सूची में ब्यौरे पर कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति, (समर्थक दस्तावेजों सहित) अपना नाम और पता और अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो तो, का नाम और पता, आदि विवरण इस नोटिस की तारीख से तीन मास के भीतर अधोहस्ताक्षरी को .... पर भेजा जाए।

यदि ऊपर विवरणित समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की होती है तो लेनदारों की सूची में प्रविष्टियों को कंपनी की शेयरपूंजी में कटौती के लिए उपर्युक्त याचिका के अधीन सभी कार्यवाहियों में सही माना जाएगा।

यह भी ध्यान दिया जाए कि सुनवाई के लिए .... (दिन) .... (तारीख) निर्धारित की गई है जिस पर अधिकरण आवेदन की सुनवाई करेगा। यदि कोई लेनदार सुनवाई में उपस्थित होना चाहता है तो उसे आपत्तियां, यदि कोई हैं तो, के साथ एक अनुरोध करना होगा।

कंपनी के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि

प्ररूप संख्या आरएससी-5

[नियम 3(5) देखें]

.... स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण खंडपीठ के समक्ष

कंपनी आवेदन संख्या .... 20 ....

.... लि. .... आवेदक

नोटिस के प्रेषण और प्रकाशन पर शपथपत्र

मैं .... (नाम, आदि) सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और निम्नानुसार कथन करता हूं:

1. मैंने तारीख .... दिन .... को नोटिस की एक प्रति प्रेषित की थी जो मेरे सामने अब प्रस्तुत की गई है और दिखाई गई है और प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को जिनके नाम, पते और विवरण, तारीख .... दिन .... को दायर की गई लेनदारों की सूची में वर्णित हैं, उक्त सूची में वर्णित उनके संबंधित पतों पर रजिस्ट्रीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा ऐसे प्रतियां भेजकर उनके नामों के आगे 'ख' चिन्हित किया है और डाक प्राप्तियां और अभिस्वीकृतियां अब मेरे सामने प्रस्तुत की गई और दिखाई गई है और उक्त रजिस्ट्रीकृत पत्रों के संबंध में डाकघर से प्राप्त प्राप्तियों और अभिस्वीकृतियों पर 'सी' से 'सीएन' तक चिन्हित किया गया है।

2. नोटिस की एक वास्तविक प्रति जिस पर 'घ' चिन्हित है, दिनांक .... के .... (समाचार पत्रों का विवरण दें) के प्रकाशन (प्रकाशनों) में प्रकाशित की गई है।

सत्यनिष्ठा से पुष्टि

(हस्ताक्षरित) ....

प्ररूप संख्या आरएससी-6

[नियम 6(2) देखें]

__________ स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण खंडपीठ के समक्ष

कंपनी आवेदन संख्या .... 20...................

.... लि. .... आवेदक

माननीय सदस्य(यों) .... के समक्ष

शेयरपूंजी में कटौती की पुष्टि का आदेश और कार्यवृत्त का अनुमोदन

तारीख .... 20........ को प्रस्तुत .... लि. के आवेदन [आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री .... को सुनने और उक्त आवेदन को पढ़ने पर और नोटिस का परिशीलन करने पर (यहां समाचार-पत्रों का उल्लेख करें) जिसमें इस याचिका की सुनवाई की तारीख दी गई है, और लेनदार(रों) के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री .... या (यदि जहां कोई उपस्थित नहीं है) यदि कोई भी लेनदार वैयक्तिक रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं है, को सुनने पर, और यदि अधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि इस कटौती पर या तो प्रत्येक लेनदारों की सहमति प्राप्त कर ली है या उनके ऋणों या दावों को मुक्त कर दिया गया है या उनका निर्धारण कर दिया गया है या उन्हें प्रतिभूत कर दिया गया है, पर,

अधिकरण यह आदेश देता है कि :

(1) दिनांक .... 20....... को आयोजित उक्त कंपनी की सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के द्वारा उक्त कंपनी की शेयर पूंजी में कटौती की गई और उसे लागू किया गया, उस संकल्प में शब्द और अंक इस प्रकार से हैं -

[संकल्प का उल्लेख करें]

इस संकल्प की पुष्टि की जाए और इसके द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।

(2) [निबंधन एवं शर्तें; यदि कोई हो] यदि अधिकरण किसी निबंधन एवं शर्तों के अधीन कटौती की पुष्टि करता है, तो उस निबंधन एवं शर्तों का उल्लेख किया जाना चाहिए, और साथ ही ऐसा कोई निदेश जो अधिकरण 'और कटौती की गई' शब्दों के प्रयोग के संबंध में देना उचित समझें या कटौती के कारणों का प्रकाशन के संबंध में आदेश का पालन किया जाए।

(3) इस अनुसूची में उल्लिखित कार्यवृत्त को इससे और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(4) इस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसमें अनुमोदित कार्यवृत्त अंतर्विष्ट है, की सुपुर्दगी इस आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को की जाए।

*तारीख......................... 20...................

अनुसूची

(कार्यवृत्त का उल्लेख करें)

कार्यवृत्त का प्ररूप

.... लि. की पूंजी.............. रुपये है जिसमें....................... रुपये को .... रुपये प्रति शेयर से कम करते हुए...................... रुपये को .... रुपये प्रति शेयर में विभाजित किया गया है। इस

कार्यवृत्त की रजिस्ट्रीकरण की तारीख को .... आदि संख्या के .... शेयरों को जारी किया गया है और उन्हें पूर्ण संदत्त माना गया है (और शेष.............. शेयरों को जारी नहीं किया गया है।)

[टिप्पण 1 : 'और कटौती की गई' शब्दों को केवल वहीं जोड़ा जाएगा जहां ऐसा आदेश दिया गया हो]

2. यदि किसी वर्ग के सभी शेयरों को जारी नहीं किया गया है तो कार्यवृत्त में जारी शेयरों का उल्लेख किया जाना चाहिए। आंशिक रूप से संदत्त शेयरों को भी उनकी क्रम संख्या द्वारा श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए और उन पर संदत्त की गई राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। बकाया शेयरों की क्रम संख्या और समपहृत शेयरों का भी विवरण किया उन पर संदत्त।]

(अधिकरण द्वारा)
रजिस्ट्रार
*आदेश की तारीख वही होगी जो कार्यवृत्त अनुमोदन की तारीख है।

प्ररूप संख्या आरएससी-7

[नियम 6(3) देखें]

.... स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण खंडपीठ के समक्ष

कंपनी याचिका संख्या .... 20..........

......................लि. .... आवेदक

आदेश और कार्यवृत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक .... 20...... को .... स्थित अधिकरण के आदेश में उपर्युक्त कंपनी की शेयरपूंजी जिसमें .... रुपये को .... रुपये प्रति शेयर से कम करते हुए...................... रुपये को .... रुपये प्रति शेयर में विभाजित किया गया है, की पुष्टि की गई है और अधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त में उपर्युक्त कंपनी की शेयरपूंजी के संबंध में परिवर्तन दर्शाया गया है, अतः दिनांक .... 20...... को उक्त अधिनियम में अपेक्षित विभिन्न विशिष्टियों को कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

तारीख.............

हस्ताक्षर..........................

रजिस्ट्रार..............................

[फा. सं. 1/30/2013/सीएल.V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2016

G.S.R. 1147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 469 read with section 66 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) the Central Government hereby makes the following rules namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the National Company Law Tribunal (Procedure for reduction of share capital of Company) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) The words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the Act) or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 or the National Company Law Tribunal Rules, 2016 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.

2. Form of application or petition for Reduction of share capital under section 66.—(1) An application to the Tribunal to confirm a reduction of share capital of a company shall be in **Form No. RSC-1** and fee shall be, as prescribed in the Schedule of fee to these rules.

(2) An application to confirm a reduction of share capital of a company shall be accompanied with ─

(a) the list of creditors duly certified by the Managing Director, or in his absence, by two directors, as true and correct, which is made as on a date not earlier than fifteen days prior to the date of filing of an application showing the details of the creditors of the company, class-wise, indicating their names, addresses and amounts owed to them;

(b) a certificate from the auditor of the company to the effect that the list of creditors referred to in clause (a) is correct as per the records of the company verified by the auditor;

(c) a certificate by the auditor and declaration by a director of the company that the company is not, as on the date of filing of the application, in arrears in the repayment of the deposits or the interest thereon; and

(d) a certificate by the company's auditor to the effect that the accounting treatment proposed by the company for the reduction of share capital is in conformity with the accounting standards specified in section 133 or any other provisions of Act.

(3) Copies of the list of creditors shall be kept at the registered office of the company and any person desirous of inspecting the same may, at any time during the ordinary hours of business, inspect and take extracts from the same on payment of the sum of rupees fifty for inspection and for taking extracts on payment of the sum of rupees ten per page to the company.

3. Issue of notice and directions by the National Company Law Tribunal.─(1) The Tribunal shall, within fifteen days of submission of the application under rule 2, give notice, or direct that notice be given to ─

(i) the Central Government, Registrar of Companies, in all cases, in **Form No. RSC-2**;

(ii) the Securities and Exchange Board of India, in the case of listed companies in **Form No. RSC-2**;

(iii) the creditors of the company, in all cases in **Form No. RSC-3**;

seeking their representations and objections, if any.

(2) The notice under clause (iii) of sub-rule (1) shall be sent, within seven days of the direction given under that sub-rule or such other period as may be directed by the Tribunal, to each creditor whose name is entered in the list of creditors submitted by the company about the presentation of the application and of the said list, stating the amount of the proposed reduction of share capital and the amount or estimated value of the debt or the contingent debt or claim or both for which such creditor's name is entered in the said list, and the time within which the creditor may send his representations and objections.

(3) The Tribunal shall along with directions under sub-rule (1) give directions for the notice to be published, in **Form No. RSC-4** within seven days from the date on which the directions are given, in English language in a leading English newspaper and in a leading vernacular language newspaper, both having wide circulation in the State in which the registered office of the company is situated, or such newspapers as may be directed by the Tribunal and for uploading on the website of the company (if any) seeking objections from the creditors and intimating about the date of hearing.

(4) The notice under sub-rule (3) shall state the amount of the proposed reduction of share capital, and the places, where the aforesaid list of creditors may be inspected, and the time as fixed by the Tribunal within which creditors of the company may send their objections:

Provided that the objections, if any, shall be filed in the Tribunal within three months from the date of publication of the notice with a copy served on the company.

(5) The company or the person who was directed to issue notices and the publication in the newspaper under this rule shall, as soon as may be, but not later than seven days from the date of issue of such notices, file an affidavit in **Form No. RSC- 5** confirming the despatch and publication of the notice.

(6) Where the Tribunal is satisfied that the debt or claim of every creditor has been discharged or determined or has been secured or his consent is obtained, it may dispense with the requirement of giving of notice to creditors or publication of notice under this rule or both.

4. Representation by Central Government, Registrar etc. under sub-section (2) of section 66.—If the authorities or the creditors of the company referred to in clause (i), clause (ii) and clause (iii) of sub-rule (1) of rule 3 desire to make any representation under sub-section (2) of section 66, the same shall be sent to the Tribunal within a period of three months from the date of receipt of notice and copy of such representation shall simultaneously be sent to the company and in case no representation has been received within the said period by the Tribunal it shall be presumed that they have no objection to the reduction.

5. Procedure with regard to representations and objections received.—(1) The company shall submit to the Tribunal, within seven days of expiry of period upto which representations or objections were sought, the representations or objections so received along with the responses of the company thereto.

(2) The Tribunal may give such directions as it may think fit with respect to holding of any enquiry or adjudication of claims or for hearing the objection or otherwise.

(3) At the hearing of the application, the Tribunal may, if it thinks fit, give such directions as may deem proper with reference to securing the debts or claims of creditors who do not consent to the proposed reduction, and the further hearing of the petition may be adjourned to enable the company to comply with such directions.

6. Order on application and Minute thereof.—(1) Where the Tribunal makes an order confirming a reduction, the order confirming the reduction and approving the minute may include such directions or terms and conditions as the Tribunal deems fit .

(2) The order confirming the reduction of share capital and approving the minute shall be in **Form No. RSC - 6** on such terms and conditions as may be deemed fit.

(3) The Certificate issued by the Registrar under sub-section (5) of section 66 shall be in **Form No. RSC -7.**

SCHEDULE OF FEES

Sl. No.	Section of the Companies Act, 2013	Nature of application / petition	Fees in Rs.
1.	Sub-Section (1) of Section 66.	Application for reduction of share capital.	5,000/-

FORM NO. RSC-1

[Pursuant to rule 2(1)]

Company Application No ...... of…… 2.....

__________________Ltd

Application under section 66 for confirming the reduction of share capital

The petitioner herein submits:-

1. The above named company, the applicant herein (hereinafter called 'the company') was registered on the .... day of _____ , under the provisions of the [Companies Act, _____] as a company limited by shares/limited by guarantee with a share capital.

2. The registered office of the company is situate at…..... .

3. The main objects of the company are [__________].

4. The capital of the company is Rs .... divided into .... shares of Rs .... each, of which .... shares have been issued and have been fully paid-up or credited as fully paid (or have been paid up to the extent of Rs ... per share).

[Note: Where there is more than one class of shares, the petition should set out the classes of shares and state specifically whether there is or there is not any priority as to capital]

5. By article(s) .... of the articles of association of the company, it is provided that the company may, from time to time, by special resolution, reduce its capital in any manner permitted by law.

6. Brief information in respect of financial position of the company; qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the auditor in his report, if any, details of any pending inspection, inquiry or investigation against the company under the Companies Act, 2013.

7. [Set out reasons for reduction.]

8. By a special resolution of the company, duly passed in accordance with section 66(1) of the Companies Act, 2013, at a general meeting thereof held after due notice as provided in the Act on the .... day of... ...... .20 .... it was resolved

[Here set out the resolution]

9. Details about

(i) the number of members present and voting at such meeting and number of shares or voting power held by them;

(ii) the number of members who voted in favour of the resolution for reduction of share capital and the number of shares or voting power held by them;

(iii) the number of members who voted against the resolution and the number of shares or voting power held by them;

10. [Here set out whether the reduction of share capital involves extinction or reduction of any liability in respect of unpaid share capital or cancellation of an paid-up share capital which is lost or is unrepresented by available assets or the payment to any shareholder of any paid-up share capital]

11. The form of the minute proposed to be registered under section 66(5) is as follows:

[Here set out the proposed minute]

12. The applicant therefore prays :

(1) That the reduction of capital resolved on by the special resolution set out in paragraph ___above be confirmed;

(2) That to this end all directions necessary and proper be made and given;

(3) That the proposed minute be approved; and

(4) That such further or other orders be made in the premises as to the Tribunal shall seem fit.

Dated ....

Applicant or his authorised representative

Attachments:-

(i) List of creditors

(ii) Certificate by the auditor w.r.t. creditors' list

(iii) Certificate and declaration w.r.t. company not being in arrears in repayment of deposits

(iv) certificate by auditor with regard to confirming with accounting standards

(v) Any other attachment.

FORM NO. RSC-2

[Pursuant to rule 3(1)(i) and (ii)]

Notice to Central Government, Registrar etc in respect of application for reduction of share capital of M/s _________ (Company)

To
The Central Government/
The Registrar of Companies/
[in all cases]
The Securities and Exchange Board of India/
[as may be applicable]

You are requested to take notice that an application has been presented to the Tribunal at .... (Bench), on the .... day of .... 20....….. for confirming the reduction of the share capital of the above company from ₹ .... to ₹. .... A copy of the application along with its attachments is enclosed.

You are hereby informed that representations, if any, in connection with the application may be made to the Tribunal within three months from the date of receipt of this notice. Copy of the representation may simultaneously be sent to the concerned company.

In case no representation is received within the stated period of three months, it shall be presumed that you have no representation or objection to make on the application.

Authorized Signatory

Dated this ……… day of …………….20…
Place

Enclosures :Copy of application along with all attachments

FORM NO. RSC - 3

[Pursuant to Rule 3(1)(iii)]

Before the National Company Law Tribunal Bench at _____

Company Application No................ of 20.....

…………… Ltd.—Applicant

Notice to Creditors

To
……………………………………
……………………………………

You are requested to take notice that a petition was presented to the Tribunal at .... , on the .... day of .... 20....….. for confirming the reduction of the share capital of the above company from ₹ .... to ₹ .... and. In the list of creditors given by the company to have been prepared on the............... day of .... 20....., your name is entered as a creditor for ₹................ (the nature of the debt or claim to be stated).

If you have any objection to the application or above stated details, the same may be sent (alongwith supporting documents) along with details about your name and address and the name and address of your Authorised Representative , if any, to the undersigned at .... within three months of date of this notice.

In case no objections are received as indicated above, the above entry in the list of creditors will, in all the proceedings under the above petition to reduce the share capital of the company, be treated as correct.

Dated ....
Authorised Representative for the Company

FORM NO. RSC – 4

[Pursuant to Rule 3(3)]

Before the National Company Law Tribunal Bench at _____

Company Application No................ of 20.....

………. Ltd. ----- Applicant

Publication of Notice

Notice may be taken that an application was presented to the Tribunal at .... (Bench), on the .... day of .... 20....….. for confirming the reduction of the share capital of the above company from ₹ .... to ₹ ....

The notices to individual creditors have been issued. The list of creditors prepared on the............... day of .... 20..... by the company is available at the registered office of the company and at ----- for inspection on all working days during 11 AM to 4 PM between ---------------------- (days when the inspection would be available).

If any creditor of the company has any objection to the application or the details in the list of creditors, the same may be sent (alongwith supporting documents) and details about his name and address and the name and address of his Authorised Representative, if any, to the undersigned at .... within three months of date of this notice.

If no objection is received within the time stated above, entries in the list of creditors will, in all the proceedings under the above petition to reduce the share capital of the company, be treated as correct.

It may also be noted that a hearing has been fixed for _____ (day) _____ (date) on which the Tribunal shall hear the application. In case any creditor intends to attend the hearing he should make a request along with his objections, if any.

Authorised Representative for the company

FORM NO. RSC - 5

[See Rule 3(5)]

Before the National Company Law Tribunal Bench at _____

Affidavit on dispatch and publication of notice

I.............................. (name, etc.), do solemnly affirm and say as follows :--

1. I did on the .... day of .... 20...... despatched a copy of the notice now produced and shown to me and marked 'B' upon each of the respective persons whose names, addresses and descriptions appear in the list of creditors filed on the.............. day of .... 20...... by sending such copies by registered or Speed post to their respective addresses appearing in the said list, and the postal receipts and the acknowledgments [including (if any) the covers returned as undelivered] now produced and shown to me and marked 'C' to 'Cn' are the receipts and acknowledgments received from the post office in respect of the said registered letters.

2. A true copy of the notice marked 'D' has been published in the issue(s) of.............. (state the newspapers) dated the .... 20.....

Solemnly affirmed

(Sd.)............……

FORM NO. RSC - 6

[See Rule 6(2)]

Before the National Company Law Tribunal Bench at _____

Company Application No................ of 20.....

………… Ltd. –Petitioner

Before the Hon'ble Member (s)...............

Order confirming Reduction of Share Capital and Approving Minute

Upon the application of …………Ltd. presented on the .... day of............... 20.....[upon hearing Shri..............Authorised Representative for the applicant, and upon reading the said application and upon perusing (here set out the newspapers) containing the notice of the date of hearing of this petition, and upon hearing Shri .... Authorised Representative for the creditor(s) [or, (where there is no appearance) none of the creditors appearing in person or by the Authorised Representative], and the Tribunal being satisfied with respect to every creditor that either his consent to the reduction has been obtained or his debt or claim has been discharged or has determined or has been secured,

THIS TRIBUNAL DO ORDER:

(1) That the reduction of the share capital of the above company resolved on and effected by the special resolution passed at a general meeting of the said company held on the .... day of .... 20,...., which resolution was in the words and figures following, viz..

[Here set out the resolution]

be and the same is hereby confirmed.

(2) [Terms and conditions, if any] Where the Tribunal confirms the reduction subject to any terms and conditions, such terms and conditions should be set out, as well as any directions that the Tribunal may think fit to give regarding the use of the words 'and reduced' or the publication of the reasons for reduction, the order being suitably cast in such cases.

(3) That the minute set forth in the schedule hereto be and is hereby approved.

(4) That a certified copy of this order including the minute as approved be delivered to the Registrar of Companies within thirty days of receipt of the order.

*Dated this .... day of................ 20.....

SCHEDULE

(Here set out the minute)

Form of Minute

The capital of __________ Ltd., is henceforth Rs. .... divided into........................... shares of ₹. .... each, reduced from ₹. .... divided into .... shares of ₹. .... each. At the date of the registration of this minute .... shares numbered .... etc., have been issued and are deemed to be fully paid (and the remaining .... shares are unissued).

[Note:--1. The words 'and reduced' are to be added only where the order so directs.]

2. If all the shares of a class are not issued, the minute should state the serial numbers of the issued shares. Partly paid shares should also be distinguished by their serial numbers and the amounts paid thereon should be stated. The serial numbers of shares with calls in arrears and of forfeited shares should also be stated.]

(By the Tribunal)

Registrar.

*Date of the order to be the date of the approval of the minute.

FORM NO. RSC -7

[See Rule 6(3)]

Before the National Company Law Tribunal Bench at _____

Company Petition No…............ of 20…..

……….Ltd.

–Petitioner

Certificate of Registration of Order and Minute

It is certified that that the order of the Tribunal at…............ dated the…................. 20….. confirming the reduction of the share capital of the above named company from ₹ …............ divided into …............ shares of ₹ …............ each, to ₹ …............ divided into …............shares of ₹ …............ each, and the minute approved by the Tribunal showing, with respect to the share capital of the above company as altered, the several particulars required by the above Act were registered by the Registrar of Companies on the …............ day of …............20…..

Dated …............

(Sd.)…............

Registrar

[F. No. 1/30/2013/CL. V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.12.20 15:18:35 +05'30'